इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त 2020–भाद्र 6, शक 1942

भाग ४

विषय–सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)–कुछ नहीं

भाग ४ (ख)–कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2020

क्र.एफ–3–112–2018–अठारह–5.– मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपाधारा (3) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के निम्न नियमों में संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण) दिनांक 10 जनवरी 2020 में पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं :–

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 16 में उप–नियम (11) में, खण्ड (ग) में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परन्तु यदि आवेदित भूमि राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज है, तो प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर नजूल अधिकारी को 30 दिवस की कालावधि के भीतर नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु लिखेगा तथा ई–मेल भी भेजेगा. यदि उपरोक्त कालावधि के भीतर नजूल अनापत्ति प्रमाण–पत्र/आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो नजूल अधिकारी के कार्यालय की प्राप्ति सुनिश्चित करने के पश्चात् यह मानते हुए कि नजूल अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया हैं, आगामी कार्यवाही की जाएगी, परन्तु उपरोक्त कारण से, अनुज्ञा जारी करने हेतु नियत कालावधि को अपवर्जित नहीं किया जाएगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2020

क्र.एफ–03–112–2018–अठारह–5.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्र.एफ–03–112–2018–अठारह–5 दिनांक 19 अगस्त 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 19th August 2020

No.F-3-112/18/18-5 :: In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of Madhya Pradesh Town and Country Planning Act, 1973. The State Government hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012 rules the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra Ordinary) dated 10 January 2020 as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act.

AMENDMENT

In the said rules, in rule 16, in sub-rule (11), in clause (c), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

" Provided that if the land applied is registered in the name of applicant in revenue records, then the Authority shall write and send email also to the Nazul Officer within 7 days of receipt of application, to issue Nazul NOC within a period of 30 days. If Nazul NOC/Objection is not received within the above said period, then further action shall be taken after ensuring the receipt of the office of Nazul Officer, assuming the Nazul NOC has been issued, but for the above reason, the time period fixed for granting the approval shall not be exclude."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.